रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052020-219305
CG-DL-E-06052020-219305

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2020/वैशाख 16, 1942
No. 215] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2020/VAISAKHA 16, 1942

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2020

**आय-कर**

**सा.का.नि. 282(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 44छ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"44छ धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किसी करार के निबंधनों को प्रभावी करने के लिए आवेदन और करार के विनिश्चय को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया-(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारत का निवासी है, भारत से बाहर किसी

देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारियों की किसी कार्रवाई से इस कारण से व्यथित है कि ऐसी कार्रवाई जो उसके अनुसार ऐसे अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के करार के निबंधनों के अनुसार नहीं है वहां वह भारत में सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप सं.34च में पारस्परिक करार प्रक्रिया को विखंडित करने के लिए, यदि ऐसे करार में उपबंधित है, आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ हुए किसी करार के अधीन भारत में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या ऐसे देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त हुआ है वहां भारत में का सक्षम प्राधिकारी, अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निर्देश पर ली गई स्वीकृति या इससे अन्यथा के बारे में संसूचित करेगा ।

(3) भारत में का सक्षम प्राधिकारी, भारत में के या बाहर के आय-कर प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी कार्रवाईयों को समझने के लिए, जो भारत और अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच के करारों के निबंधनों के अनुसार नहीं है, प्रारूप सं. 34च में और भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के निर्देश में अंतर्विष्ट मुद्दों के संबंध में आय-कर प्राधिकारियों या निर्धारिती या भारत में के उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से सुसंगत अभिलेखों और अतिरिक्त दस्तावेज की मांग करेगा या ऐसे प्राधिकारियों या निर्धारिती या उसके प्रतिनिधि से विचार-विमर्श करेगा ।

(4) भारत में का सक्षम प्राधिकारी, चौबीस मास की औसत समयावधि के भीतर भारत और अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के मध्य करार के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों की ऐसी कार्रवाइयों से उद्भूत कर विवादों के पारस्परिक सहमत संकल्प पर पहुंचने का प्रयास करेगा ।

(5) यदि भारत में के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण पारस्परिक करार प्रक्रिया का अवलंब लिया जाता है तो किसी पूर्व वर्ष में उपनियम (4) के अधीन किया गया संकल्प, भारत में उक्त वर्ष की आय की विवरणी में उसके द्वारा यथाघोषित निर्धारिती की, यथास्थिति, आय को घटाने या हानि को बढ़ाने में परिणाम नहीं होगी ।

(6) यदि भारत में का सक्षम प्राधिकारी और उस अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच उपनियम (4) के अधीन कोई संकल्प किया जाता है तो निर्धारिती को उसकी लिखित में संसूचना दी जाएगी ।

(7) निर्धारिती, उपनियम (6) के अधीन संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर भारत में के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में संकल्प को स्वीकृत या स्वीकृत करने की संसूचना दी जाएगी ।

(8) संकल्प की निर्धारिती की स्वीकृति के साथ, उन मुद्दों पर, उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प की विषय-वस्तु थे, लंबित अपील, यदि कोई हों, को वापस लेने का सबूत संलग्न होगा ।

(9) उपनियम (7) के अधीन स्वीकृति की प्राप्ति पर, यथास्थिति, ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महा निदेशक या महानिदेशक को, भारत में का सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प और उपनियम (8) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अपील यदि कोई है, को वापस लेने के सबूत के साथ निर्धारिती द्वारा दी गई स्वीकृति को संसूचित करेगा, जो उसे निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(10) निर्धारण अधिकारी, उपनियम (9) के अधीन संसूचना प्राप्त होने पर उस मास के अंत से एक मास के भीतर, जिसमें उसे संसूचना प्राप्त हुई थी, लिखित आदेश द्वारा उपनियम (4) के अधीन किए गए संकल्प को प्रभावी करेगा और निर्धारिती को उसके द्वारा अवधारित संदेय कर, यदि कोई हों, के बारे में सूचित करेगा ।

(11) निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उपनियम (10) के अधीन यथा अवधारित कर का संदाय करेगा और निर्धारण अधिकारी को कर के संदाय का सबूत देगा जो उपनियम (4) के अधीन संकल्प की विषय-वस्तु से संबंधित उस लंबित अपील, यदि कोई हों, को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेगा, जो निर्धारण अधिकारी या प्रधान आयुक्त या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा फाइल की गई थी और जो उस समय तक लंबित है ।

(12) उपनियम (10) के अधीन आदेश की प्रति, भारत में सक्षम प्राधिकारी को तथा निर्धारिती को भेजी जाएगी ।

(13) पहले ही अवधारित कर, ब्याज या शास्ति की रकम उपनियम (4) के अधीन परिनिर्धारित संकल्प और अधिनियम, के अधीन उपबंधित रीति में या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस सीमा तक समायोजित की जाएगी कि ऐसी रीति परिनिर्धारित संकल्प के प्रतिकूल न हो ।

**स्पष्टीकरण :** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "भारत में सक्षम प्राधिकारी" से इस हैसियत में कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत होगा ।"

(ii) नियम 44ज का लोप किया जाएगा।

(iii) परिशिष्ट II में, प्ररुप 34च के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररुप 34 च

[नियम 44छ देखिए]

भारत में निवासी किसी निर्धारिती के लिए आवेदन का प्ररुप, जो अन्य देशों या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों के साथ करारों में उपबंधित पारस्परिक करार प्रक्रिया (एम ए पी) का अवलंब लेना चाहता है ।

सेवा में,

भारत में सक्षम प्राधिकारी,

विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

राजस्व विभाग,

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली ।

महोदया/महोदय

आवेदक .....(देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम) के कर प्राधिकारी की कार्रवाई से नीचे दिए गए कारणों से व्यथित है; अतः इस मामले पर भारत और ..... (देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम) के बीच .....(करार विनिर्दिष्ट करें) के अनुच्छेद.....के अधीन .....(देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम) के सक्षम प्राधिकारी के साथ बातचीत की जाए । इस संबंध में सुसंगत ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(क) आवेदक का नाम --

(ख) स्थायी लेखा संख्या/आधार --

(ग) सर्किल /वार्ड --

(घ) निर्धारण वर्ष --

(ङ) पूर्ववर्ती वर्ष --

(च) कार्यालय पता और दूरभाष संख्या --

(छ) निवास का पता और दूरभाष सं. (यदि लागू हो) --

(ज) प्रास्थिति --

(झ) अन्य देय़ या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र (संधि भागीदार) में कर प्राधिकारी का नाम और पदनाम --

(ञ) कार्रवाई को उद्भूत करने वाली सूचना या आदेश की तारीख --

(ट) क्या संधि भागीदार के आय-कर प्राधिकारी का आदेश/ कार्रवाई करार के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो उसके कारण बताएं – (यदि अपेक्षित हो, तो पृथक शीट लगाएं)

(ठ) दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यदि कोई हों, अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में चाहे गए उपचार के ब्यौरे ।

2. हमारे दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं :-

(1) कार्रवाई को उद्भूत करने वाली सूचना या आदेश की प्रति

(2) (ट) के संबंध में उपबंधित विस्तृत कारण, यदि कोई हों,

(3) (ठ) के संबंध में दस्तावेज, यदि कोई हों

(4) (कोई अन्य दस्तावेज)

**सत्यापन**

1. मैं.....पुत्र//पुत्री/पत्नी श्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन तथा इसके साथ संलग्न उपबंधों और विवरणों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और उसमें दर्शित विशिष्टियां सत्य कथित हैं तथा निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) से संबंधित है ।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, मैनें कोई तथ्य या सूचना नहीं छिपाई है जो मेरे आवेदन का विनिश्चय करने के लिए सुसंगत हो सके ।

3. मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन .....(पदनाम) की हैसियत से कर रहा हूं और मैं स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) /आधार धारण कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने तथा सत्यापित करने में सक्षम हूं ।

तारीख .....

स्थान .....

(हस्ताक्षर) ”

[अधिसूचना सं. 23 /2020/फा.सं. 370142/31/2019-टी पी एल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

**टिप्पण** : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं.....159(अ). तारीख 5 मार्च, 2020 द्वारा किए गए ।